# प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सम्भल, स्थित चन्दौसी।

**प्रशासनिक आदेश संख्या : 148/2020, दिनांक–10.07.2020**

## आदेश

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिलाधिकारी, सम्भल की ओर से अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), जनपद सम्भल के ई–मेल के माध्यम से प्राप्त पत्र सं0–2999/रीडर/कोविड–19/2020–21 दिनांकित–30 जून, 2020, जिसके द्वारा जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी को कन्टेनमेन्ट जोन में स्थित होना दर्शाया गया था, के आधार पर जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी को दिनांक–01.07.2020 से कन्टेनमेन्ट जोन में रहने के दौरान बन्द रहने के संबंध में प्रशासनिक आदेश सं0–146/2020 दिनांकित–01.07.2020 पारित किया गया था। दिनांक–01.07.2020 से दि0–08.07.2020 तक जिलाधिकारी, सम्भल की ओर से दिन–प्रतिदिन इस आशय की आख्यायें प्रेषित की गयीं कि जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी कन्टेनमेन्ट जोन में स्थित है तथा दिनांक–09.07.2020 को जिलाधिकारी, सम्भल की ओर से प्रेषित पत्रांक–1263, दिनांकित–09.07.2020 के द्वारा जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी परिसर को दिनांक–12.07.2020 तक कन्टेनमेन्ट जोन में स्थित रहने के संबंध में आख्या प्रेषित की गयी।

तद्उपरान्त दिनांक–09.07.2020 को ही जिलाधिकारी, सम्भल की ओर से ई–मेल के माध्यम से प्रेषित पत्र सं0–3043 दिनांकित–09.07.2020 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि दो व्यक्ति, श्री विनोद कुमार एवं श्रीमती पारुल पाठक, निवासी मुंसिफ रोड निकट शिव मन्दिर, चन्दौसी, जनपद सम्भल के कोविड–19 की जांच हेतु दिनांक–06.07.2020 को लिए गए सैम्पल की रिपोर्ट दिनांक–08.07.2020 को देर रात्रि पॉजिटिव प्राप्त हुई है तथा यह भी अवगत कराया गया है कि उपरोक्त पॉजिटिव मरीजों के निवास स्थान वाली गली को हॉट–स्पॉट एरिया बनाया गया है तथा जनपद न्यायालय परिसर की दूरी उपरोक्त दोनों मरीजों के निवास स्थान से लगभग 200 मीटर है तथा यह भी अवगत कराया गया है कि जनपद न्यायालय के कन्टेनमेन्ट जोन में बने रहने की अवधि दि0–19.07.2020 तक बढ़ गयी है। पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सम्भल द्वारा अपर जिलाधिकारी, सम्भल को सम्बोधित उपरोक्त आशय के पत्र दिनांकित–09.07.2020 की प्रति भी संलग्न की गयी है।

अतः जिलाधिकारी, सम्भल की ओर से प्राप्त पत्र सं0–3043 दिनांकित– 09.07.2020 के आधार पर, माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0–1117/**LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 03-06-2020** के पैरा सं0–14 में दिए गए निर्देशानुसार, जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी दिनांक–19.07.2020 तक कन्टेनमेन्ट जोन में बने रहने के कारण बन्द रहेगा तथा गिरफ्तार व्यक्तियों के रिमाण्ड एवं बेल के मामले उसी प्रकार किये जायेंगे, जैसे कि अवकाश के दिनों में किए जाते हैं।

इस आदेश की प्रति जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी की वेबसाइट पर अपलोड की जाये।

A.K. Tripathi
(अश्विनी कुमार त्रिपाठी)
जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चंदौसी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त पीठासीन न्यायिक अधिकारीगण,
2. जिलाधिकारी, सम्भल,
3. पुलिस अधीक्षक, सम्भल,
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल
5. अध्यक्ष/सचिव, चन्दौसी, बार एसोसिएशन, चन्दौसी, (सम्भल)
6. अध्यक्ष/सचिव, व्यवहार एवं सत्र बार एसोसियेशन, चन्दौसी, जिला सम्भल,
7. जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी), सम्भल,
8. संयुक्त निदेशक अभियोजन, सम्भल,
9. अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद।

A.K. Tripathi